<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्याः 07/2017/बी-1- 823 /दस-2017-एम-04/2017</u>

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँकः 21 जून, 2017

विषयः परियोजनाओं के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन / कॉस्ट ओवर रन को नियंत्रित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

निर्माणाधीन परियोजनाओं की मूल लागत / पूर्ण होने की अवधि में विभिन्न कारणों से प्रायः वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के संसाधन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं एवं जनमानस को परियोजना का समय से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है । इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में जारी शासनादेश संख्या बी-1-2658/दस-2000 दिनांक 10 जुलाई, 2002 को अवक्रमित करते हुये श्री राज्यपाल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) निर्माण कार्य सम्बन्धी समस्त परियोजनाओं की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.), उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के सप्तम संस्करण के अध्याय-19 के परिशिष्ट-ए में उल्लिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(2) परियोजना की डी.पी.आर. का गठन अद्यतन उपलब्ध शेड्यूल आफ रेट के आधार पर किया जाय । परियोजना हेतु भूमि की लागत को डी.पी.आर. में शामिल किया जाय और यदि उपलब्ध भूमि निःशुल्क है तो उसका उल्लेख डी.पी.आर. में किया जाय ।

(3) परियोजना की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की दशा में प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति (inflation) का संज्ञान लेकर डी.पी.आर. तैयार की जाय ।

(4) परियोजना की डी.पी.आर. मे "जीरो डेट" (परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि) एवं परियोजना के पूर्ण होने की तिथि, तथा PERT (Program Evaluation Review Technique/CPM (Critical Path Method) चार्ट का यथास्थान आवश्यकतानुसार उल्लेख किया जाय।

(5) कार्यात्मक व आवासीय भवन जिनका मानचित्र व क्षेत्रफल विभिन्न जनपदों में एक सा प्रस्तावित है, का मानकीकरण व्यय वित्त समिति से करा लिया जाय ।

(6) परियोजना की डी.पी.आर. सक्षम प्राधिकारी से वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-दस-10/77, दिनांक 26 अगस्त, 2014 के अनुसार अनुमोदित होने एवं परियोजना की तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरान्त परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(7) परियोजनाओं में निर्माण कार्य सम्मिलित होने की स्थिति में आवश्यक एवं उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य के लिये वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय ।

(8) परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, सभी आवश्यक क्लीयेरेन्सेस संबंधित विभागों (यथा पर्यावरण, वन विभाग)/ संस्थाओं से अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय ।

(9) विभागों द्वारा कार्यदायी संस्था के माध्यम से निर्माण कराये जाने की दशा में विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ परियोजना की डी.पी.आर. के प्रावधानों के अनुसार एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में पैनाल्टी का प्रावधान एम.ओ.यू. में रखा जाय ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) परियोजना की डिजाइन एवं विशिष्टताओं में सामान्यतः कोई परिवर्तन न किया जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि उनमें परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो, इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या बी-2- 2528/दस-2014-दस-10/77 दिनांक 26 अगस्त, 2014 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये ।

(11) परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने तथा समय से पूर्ण करने के लिये संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रगति तथा गुणवत्ता की समीक्षा की जाय तथा परियोजना की भौतिक प्रगति के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय-

(i) ऐसी परियोजनायें जिनमें 10 प्रतिशत से अधिक लागत वृद्धि (Cost Over Run) हो चुकी है तथा / अथवा छः माह से अधिक कार्यावधि वृद्धि (Time Over Run) हो गयी है तो ऐसी परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट विभागों द्वारा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। नियोजन विभाग द्वारा ऐसी सभी परियोजनाओं की मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा कराई जायेगी ।

(ii) ऐसी परियोजनायें जिनमें 25 प्रतिशत से अधिक लागत वृद्धि (Cost Over Run) हो चुकी है तथा / अथवा एक वर्ष से अधिक कार्यावधि वृद्धि (Time Over Run) हो गयी है तो ऐसी परियोजनाओं के संबंध में प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा प्रत्येक त्रैमास में कारणों सहित रिपोर्ट तैयार कर माननीय मंत्रिपरिषद् द्वारा गठित उप समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(iii) ऐसी परियोजनाओं जिनमें लागत वृद्धि, मात्र शिड्यूल आफ रेट में पुनरीक्षण के कारण हुई है तो ऐसे प्रकरणों की समीक्षा प्रशासकीय विभाग स्वयं करेंगे और ऐसी परियोजनाओं की रिपोर्ट नियोजन विभाग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(12) टाईम / कास्ट ओवर रन के प्रकरणों में विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व निर्धारण के लिये उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (सप्तम् संस्करण) के अध्याय-XIX के परिशिष्ट-B के अनुसार कार्यवाही की जाय ।

(13) प्रत्येक विभाग द्वारा अपने विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त परियोजनाओं का पूर्ण विवरण यथा परियोजना का नाम, लागत, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि, भौतिक प्रगति, परियोजना पर अद्यतन व्यय का विवरण विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अपडेट किया जायेगा।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव ।

<u>संख्या:07/2017/बी-1-823(1)/दस-2017-एम-04/2017, तददिनाँक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम /द्वितीय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

मुकेश मित्तल
सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in